



पत्रांक : वि.ल.सि.ल. 575-0/16-850

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
बिहार महादलित विकास मिशन,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी,  
समस्तीपुर, खगड़िया, पूर्णिया एवं सीतामढ़ी

पटना, दिनांक : 29/04/2022

विषय :- विकास मित्र के अप्राकृतिक मृत्यु के उपरांत उसके आश्रितों को भुगतान हेतु राशि के आवंटन संबंधी सूचना का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके जिले के विकास मित्रों के असामयिक/अप्राकृतिक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को भुगतान करने हेतु अनुदान राशि संबंधित जिले के जिला कल्याण पदाधिकारी को वेतन आदि मद के अतिरिक्त, खाता हेड आई०डी०-3347 के माध्यम से राशि की अंतरण की गयी है, जिसका ब्योरा निम्नवत् है:-

क्र० सं०	जिला का नाम	अप्राकृतिक मृत्यु विकास मित्रों के नाम	भुगतान की जाने वाली राशि	राशि शब्दों में
1	समस्तीपुर	स्व० रामबाबू राम	8,93,200	रु० आठ लाख तिरानवे हजार दो सौ मात्र।
2		स्व० सत्यम कुमार भारती	8,93,200	रु० आठ लाख तिरानवे हजार दो सौ मात्र।
3	खगड़िया	स्व० किशोर कुमार रंजन	8,93,200	रु० आठ लाख तिरानवे हजार दो सौ मात्र।
4	पूर्णिया	स्व० मीना देवी	8,50,000	रु० आठ लाख पचास हजार मात्र।
5		स्व० अमित रंजन दास	8,93,200	रु० आठ लाख तिरानवे हजार दो सौ मात्र।
6	सीतामढ़ी	स्व० रामवृक्ष सदा	7,60,000	रु० सात लाख साठ हजार मात्र।

अतः अनुरोध है कि विकास मित्रों के आश्रितों को अनुदान की आवंटित राशि का भुगतान जाँचोपरांत नियमानुकूल किया जाय, अगर भुगतान में अनियमितता होगी तो इसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। भुगतान उपरांत उपयोगिता प्रमाण-पत्र एक सप्ताह के अंदर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

मिशन निदेशक